फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 74 संख्याः 92 प्रभात जयपुर, बुधवार 1 नवम्बर, 2023 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 12 मूल्य 3.50 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

**THE HOLY LAND OF UNHOLY STRUGGLE**

Two days after capture of Haifa, the Indian Cavalry took the town of Acra from the Turks. Abdul Baha told some Indian soldiers "What Napoleon failed to do in three months, you did it in two days."

**Celebrating World Vegan Day!**

*मोहावे डैज़र्ड के बीचों बीच, डैथ वैली नैशनल पार्क से कुछ मील दूर एक रहस्य छुपा हुआ हैः प्राचीन काल का चौंकाने वाला नीले रंग का पानी जो धीरे-धीरे जमीन के नीचे बहता है। हज़ारों साल पहले हुई बरसात का यह पानी भूमिगत प्राकृतिक जालाशयों में एकत्र हो गया जिसमें लाइमस्टोन क्रिस्टल आकर मिल गए, जिससे पानी का रंग गहरा सफायर ब्लू नज़र आने लगा। अब यह पानी कुछ स्थानों पर प्राकृतिक झरनों के रुप में ऊपर आता है। यही भूमिगत जल आस-पास के घास के मैदानों, दलदली भूमि, मछलियों के छोटे-छोटे तालाबों और अमरगोसा नदी के कुछ भागों का पोषण करता है। ऐसे लैण्डस्केप में, जहाँ गर्मियों में तापमान अक्सर 100 के ऊपर होता है और कई बार तो पूरे वर्ष वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरती, पानी बहुमूल्य होता है और जीवन इन गीले स्थानों के आस-पास ही होता है। इस स्थिति से प्रेरित होकर नेचर कंज़र्वेन्सी ने करीब 50 साल पहले मोहावे डैज़र्ट में काम शुरु किया और वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन के लिए इन डैज़र्ट स्प्रिंग्स का संरक्षण बहुत आवश्यक है। यह भी पता चला कि, हर स्प्रिंग का एक विशिष्ट इकोसिस्टम होता है। ये ''वैट आइलैण्ड'' पौधों को उगने में मदद करते हैं और धूप से राहत देते हैं और द्वीपों की तरह इनके बीच में दूरी भी बहुत होती है, इतनी कि, कुछ जानवर रेगिस्तान को पार करके एक से दूसरे वैट आइलैण्ड तक नहीं पहुँच पाते। अमरगोसा वोल (मूस) ऐसा ही एक जानवर है। ये जानवर, डैथ वैली के पूर्व में, टेकोपा नगर और शोशोन गाँव के अमरगोसा रिवर बेसिन में ही मिलते हैं, पृथ्वी पर और कहीं भी इनका अस्तित्व नहीं है। अमरगोसा मोल, आम तौर पर पाए जाने वाले कैलिफोर्निया वोल की उपप्रजाति हैं तथापि, इनका रंग कुछ अधिक गहरा व आकार बड़ा होता है और इनका थूथन (मज़ल) सफेद होता है। भूमिगत स्रोतों के पानी से बने दलदली क्षेत्रों में उगने वाले सरकंडों में ये अपना घर बनाते हैं और परभक्षियों से बचने, भोजन तथा बिस्तर के लिए सरकंडों का इस्तेमाल करते हैं। पूर्व में माना जाता था कि, ये केवल सरकंडे खाते हैं, लेकिन हाल में पता चला है कि और भी चीज़ें खा लेते हैं। इनका अस्तित्व ऊपर आने वाले भूमिगत जल पर निर्भर करता है, जिससे इतनी नमी हो जाती है कि सरकंडे उग सकें। अमरगोसा वोल की छोटी आबादी और अन्य बस्तियों से अलगाव के कारण इन्हें रोगों और विलुप्ति का खतरा है।*

# कांग्रेस की 61 नामों की चौथी सूची में गहलोत का बोलबाला रहा

## पायलट के 8-10 समर्थकों को टिकट मिला

जयपुर, 31 अक्टूबर। ए.आई.सी.सी. के महासचिव वेणुगोपाल ने आज 56 नामों की कांग्रेस प्रत्याशियों की जो चौथी सूची जारी की उसमें भी पहले की तरह अशोक गहलोत का बोलबाला रहा, हालांकि सचिन पायलट के 8-10 समर्थकों को भी इसमें स्थान मिला है।

कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अपने स्थान पर अपने पुत्रों को टिकट दिलाना चाह रहे थे। पर, पार्टी ने उनकी मांग अस्वीकार कर उन्हें स्वयं को ही मैदान में उतारा है। इनमें प्रमुख हैं, श्रीमाधोपुर से दीपेन्द्र सिंह शेखावत, शिव से अमीन खान तथा खण्डेला से महादेव सिंह।

मानवेन्द्र सिंह जैसलमेर से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर हरीश चौधरी के दबाव में उन्हें जैसलमेर छोड़ कर सिवाना जाना पड़ा है।

| क्रसं. | विधानसभा क्षेत्र | उम्मीदवार | क्रसं. | विधानसभा क्षेत्र | उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गंगानगर | अंकुर मंगलानी | 32 | शिव | अमीन खान |
| 2 | रायसिंह नगर-अजा | सोहनलाल नायक | 33 | सिवाना | मानवेन्द्र सिंह |
| 3 | अनूपगढ़-अजा | श्रीमती शिमला देवी नायक | 34 | चौहटन-अजा | पद्माराम मेघवाल |
| 4 | पीलीबंगा-अजा | विनोद गोठवाल | 35 | जालौर-अजा | रमीला मेघवाल |
| 5 | बीकानेर-पूर्व | यशपाल गहलोत | 36 | भीनमाल | डॉ. समरजीत सिंह |
| 6 | लूणकरणसर | डॉ. राजेन्द्र मूंड | 37 | रानीवाड़ा | रतन देवासी |
| 7 | चूरू | रफीक मंडेलिया | 38 | पिंडवाड़ा-अजजा | लीलाराम गरासिया |
| 8 | खंडेला | महादेव सिंह | 39 | गोगुन्दा-अजजा | डॉ. मांगीलाल गरासिया |
| 9 | श्रीमाधोपुर | दीपेन्द्र सिंह | 40 | उदयपुर-ग्रामीण-अजजा | डॉ. विवेक कटारा |
| 10 | तिजारा | इमरान खान | 41 | उदयपुर | गौरव वल्लभ |
| 11 | किशनगढ़बास | दीपचंद खेरिया | 42 | धरियावद-अजजा | नागराज मीणा |
| 12 | बहरोड़ | संजय यादव | 43 | आसपुर-अजजा | राकेश रावत |
| 13 | थानागाजी | कांति प्रसाद मीणा | 44 | सागवाड़ा-अजजा | कैलाश कुमार भील |
| 14 | राजगढ़-लक्ष्मणगढ़-अजजा | मांगीलाल मीना | 45 | गढ़ी-अजजा | शंकरलाल चरपोटा |
| 15 | कठूमर-अजा | संजना जाटव | 46 | कपासन-अजा | शंकरलाल बैरवा |
| 16 | नदबई | जोगेन्द्र अवाना | 47 | बेगूं | राजेन्द्र सिंह बिधूड़ी |
| 17 | बयाना-अजा | अमर सिंह जाटव | 48 | बड़ी सादड़ी | बद्रीलाल जाट |
| 18 | बसेड़ी-अजा | संजय कुमार जाटव | 49 | कुम्भलगढ़ | योगेन्द्र सिंह परमार |
| 19 | हिण्डौन-अजा | अनीता जाटव | 50 | राजसमंद | नारायण सिंह भाटी |
| 20 | बामणवास | इंदिरा मीणा | 51 | बूंदी | हरिमोहन शर्मा |
| 21 | निवाई-अजा | प्रशान्त बैरवा | 52 | सांगोद | भानू प्रताप सिंह |
| 22 | किशनगढ़ | विकास चौधरी | 53 | छबड़ा | करण सिंह राठौड़ |
| 23 | अजमेर-दक्षिण | द्रोपदी कोली | 54 | डग-अजा | चेतराज गहलोत |
| 24 | नसीराबाद | शिव प्रकाश गुर्जर | 55 | खानपुर | सुरेश गुर्जर |
| 25 | ब्यावर | पारस मल जैन | 56 | मनोहर थाना | नेमी चन्द मीणा |
| 26 | मकराना | जाकिर हुसैन गेसावत | 57 | फुलेरा | विद्याधर चौधरी |
| 27 | जैतारण | सुरेन्द्र गोयल | 58 | जैसलमेर | रूपाराम मेघवाल |
| 28 | पाली | भीमराज भाटी | 59 | पोकरण | सालेह मोहम्मद |
| 29 | बाली | बद्री राम जाखड़ | 60 | आजीन्द | हंगामी लाला मेवाड़ा |
| 30 | भोपालगढ़-अजा | गीता बारवाड़ | 61 | जहाज़पुर | धीरज गुर्जर |
| 31 | बिलाड़ा-अजा | मोहनलाल कटारिया | | | |

# चन्द्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत मिली

## आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट नायडू को नियमित जमानत दिए जाने की याचिका पर 10 नवम्बर को सुनवाई करेगा

**-लक्ष्मण वेंकट कुची-**
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए दीपावली खुशियां लेकर आ सकती है क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर 28 नवंबर तक सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है।

नायडू को हाईकोर्ट ने जमानत दी है ताकि वे अपने व्यक्तिगत चिकित्सक की देखरेख में अपने टैस्ट और इलाज करवा सकें। नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई 10 नवम्बर को होगी।

नायडू की एक आंख में मोतियाबंद का ऑपरेशन होना है और उन्हें उसी अस्पताल में सर्जरी करवाने की अनुमति दी गई है जिसमें उनकी दूसरी आंख का ऑपरेशन हुआ था।

नायडू को आंध्र प्रदेश की राजामुंदरी जेल से रिहा किया जाएगा। जहाँ वे करोड़ों रुपए के कौशल विकास घोटाले के आरोप में 53 दिन से बंद हैं। वे10 सितम्बर को गिरफ्तार हुए थे। उन पर 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहते हुए इस घोटाले में लिप्त होने का आरोप है।

- **नायडू की ''कैटरैक्ट'' सर्जरी होने की संभावना भी बताई जा रही है।**
- **ज्ञातव्य है कि, नायडू पर अपने कार्यकाल (2014-2019) में कौशल विकास घोटाले में लिप्त होने का आरोप है और इसी मामले में वे 10 सितम्बर को गिरफ्तार किए गए थे तथा 53 दिन से जेल में हैं।**
- **नायडू को अंतरिम जमानत मिलने पर प्रदेश भाजपा प्रमुख डी. पुरन्दरेश्वरी ने खुशी जताई। पुरन्दरेश्वरी असल में चन्द्रबाबू नायडू की पत्नी की सगी बहन हैं।**
- **नायडू के बेटे ने आरोप लगाया कि, जेल में उनके पिता की जान को खतरा है।**

तेलुगू देशम पार्टी के समर्थकों ने अंतरिम जमानत मिलने के कारण जश्न मनाया, पटाखे फोड़े तथा मिठाइयां बांटी। चार सप्ताह की इस अंतरिम जमानत को पार्टी और उनके समर्थकों द्वारा राजनैतिक जीत माना जा रहा है, नायडू समर्थक तेलंगाना इकाई से नाराज हैं क्योंकि वह चुनावी दौड़ से बाहर हो गई है।

केवल अपने नेता के स्वस्थ होने पर ध्यान केन्द्रित करने वाले नायडू समर्थक इस अंतरिम जमानत को अपनी

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# 'सरकार में अडानी हैं न. वन'

**-जाल खंबाता-**
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा

- **कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि, सरकार की सभी संस्थाओं पर अडानी का कब्जा है, सरकार में मोदी नम्बर दो व आमित शाह नम्बर तीन हैं।**

कि उनको और कई विपक्षी नेताओं को पास एपल के ईमेल अलर्ट मिले हैं कि

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# तमिलनाडू सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

## तमिलनाडू सरकार का आरोप है कि, राज्यपाल निर्वाचित सरकार के राजनैतिक प्रतिद्वंदी की भूमिका निभा रहे हैं

**-जाल खंबाता-**
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। तमिलनाडु सरकार ने राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा स्वीकृति न देने के खिलाफ सुपीम कोर्ट में वाद दायर किया है। सरकार का कहना है कि राज्यपाल ने अपने आप को चुनी हुई सरकार का राजनैतिक प्रतिद्वंदी बना लिया है।

- **याचिका में दावा किया गया है कि, राज्यपाल रोजमर्रा की फाइलों, नियुक्ति आदेश, भर्ती आदेशों व विधेयकों पर भी हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।**
- **तमिलनाडू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में पारित बिलों पर हस्ताक्षर की समय सीमा तय की जानी चाहिए।**

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत याचिका में दावा किया गया है कि राज्यपाल माफी के आदेश, रोजमर्रा की

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# सड़क दुर्घटनाओं में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि

**-जाल खंबाता-**
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाइवे मंत्रालय ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की कि वर्ष 2022 में भारत में सड़क हादसों में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, दुर्घटना में मरने वालों की संख्या पूर्व वर्ष की तुलना में 9.4 प्रतिशत बढ़ी है और घायलों की तादाद भी 15.3 प्रतिशत बढ़ी है।

वर्ष 2022 में कुल 4,61,312 दुर्घटनाएं रिपोर्ट हुई। मंत्रालय द्वारा जारी

- **सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि, सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में भी 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।**

रिपार्ट में इन दुर्घटनाओं के कारकों का समाधान करने पर भी जोर दिया गया। दुर्घटना के कारकों में तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ट्रैफिक नियमों को नहीं मानना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि हम वाहन चालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, सड़कों व वाहनों की दशा सुधराने में निवेश करें।

मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट ''भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2022 में सड़क सुरक्षा

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# 'इलैक्टोरल बॉण्ड राजनैतिक दलों, खासकर सत्तारूढ़ पार्टी को दी जाने वाली रिश्वत है'

## प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में वेदान्ता लिमिटेड का उदाहरण दिया कि, वित्तीय संकट से जूझ रही इस कम्पनी का चुनावी चंदा बढ़ता ही जा रहा है

**-जाल खंबाता-**
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इलैक्ट्रॉनिक बॉण्ड्स स्कीम को रद्द किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार के निर्णयों या नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए ये सिर्फ रिश्वत है।

चीफ जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.पी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पांच जजों की संविधान बैंच इलैक्टोरल बॉण्ड स्कीम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत राजनीतिक पार्टियों को गुप्त धन मिलता है। सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।

प्रशांत भूषण के अलावा इस केस में केन्द्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वैंकटरमणी तथा सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और विजय हंसारिया पेश हुए।

प्रशांत भूषण ने कहा कि ''केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने इलैक्टोरल बॉण्ड्स के जरिए आए कुल धन का 60 प्रतिशत से अधिक प्राप्त किया है। अन्य पार्टियाँ महत्वहीन बन गई हैं। यदि किसी नागरिक को किसी चुनाव उम्मीदवार,

- **उन्होंने आरोप लगाया कि, यही वजह है कि, कई जगहों पर खनन लाइसैंस में इस कम्पनी को प्राथमिकता दी जा रही है।**
- **एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से उपस्थित भूषण ने आरोप लगाया कि, इलैक्टोरल बॉण्ड्स से प्राप्त कुल राशि का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा अकेले भाजपा को मिला है।**
- **भूषण ने कहा कि, जब जनता को प्रत्याशियों की सम्पत्ति, अपराधिक रिकॉर्ड, सब जानने का हक है तो यह जानने का हक भी है कि, राजनैतिक दलों को फण्डिंग कौन कर रहा है।**

उसकी सम्पत्तियाँ, दायित्व, आपराधिक इतिहास आदि के बारे में जानने का अधिकार है तो फिर उन्हें फिर जानने का भी अधिकार है कि, इन राजनीतिक पार्टियों की फण्डिंग कौन कर रहा है। ''पार्टियों को भी संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत यह ये अधिकार हैं।''

उन्होंने आगे कहा कि, ''सरकार कहती है कि, इस प्रकार के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किन्तु यहां तो सबसे पहले जरूरत है कि प्रतिबंध न्यायोचित हों। स्वयं चुनाव आयोग ने कहा था कि यह राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए फर्जी कम्पनियों के इस्तेमाल की संभावना को जन्म देता है।'' राजनीतिक पार्टियों को शैल कम्पनियों के जरिए काला धन प्राप्त हो रहा है।''

प्रशांत भूषण ने कहा कि ''फण्डिंग के स्रोत के बारे में केवल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस.बी.आई.) और कानून प्रवर्तन एजेंसियां ही जान सकेंगे, जिससे नागरिकों के अधिकारों का पूर्णतया हनन होता है। भारतीय चुनाव आयोग ने कहा था कि इससे राजनीतिक फण्डिंग के पारदर्शिता पहलू पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आयोग ने कहा था कि पारदर्शिता के मामले में यह एक

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# दिल्ली के वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई

**-जाल खंबाता-**
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा व दिल्ली से एक हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दर्ज करके यह बताने के लिए कहा है कि, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

जस्टिस एस.के. कॉल की

- **सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा व दिल्ली की सरकारों को वायु प्रदूषण नियंत्रण पर शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए।**

अध्यक्षता वाली 3 जज बैंच, जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया और पी.के. मिश्रा शामिल थे, ने पूर्व में कमिशन फॉर एयर क्वालिटी कन्ट्रोल से एयर क्वालिटी मैनेजमैंट तथा दिल्ली व आस-पास वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में रिपोर्ट मांगी थी।